



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042022-234997
CG-DL-E-08042022-234997

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 102]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 8, 2022/चैत्र 18, 1944

No. 102]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 8, 2022/CHAITRA 18, 1944

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2022

सं. 37/1/(VII)/2022/टी.—राष्ट्रपति का दिनांक 8 अप्रैल, 2022 का निम्नलिखित आदेश सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

“संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (2) के उप-खण्ड (क) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा लोक सभा का सत्रावसान करता हूँ।

8 अप्रैल, 2022

राम नाथ कोविन्द,

राष्ट्रपति।”

उत्पल कुमार सिंह, महासचिव

LOK SABHA SECRETARIAT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th April, 2022

No. 37/1/(VIII)/2022/T.—The following order by the President dated the 8th April, 2022 is published for general information:-

“In exercise of the powers conferred upon me by sub-clause (a) of clause (2) of article 85 of the Constitution, I hereby prorogue the Lok Sabha.

April 8, 2022

Ram Nath Kovind,
PRESIDENT"

UTPAL KUMAR SINGH, Secy.-General